

कार्यालय आदेश:- 258

दिनांक:- 12.02.2020

सी सी एस (आचरण) नियम, 1964 के नियम 3-सी के अनुसार कोई भी सरकारी कर्मचारी कार्यस्थल पर किसी भी महिला के साथ किसी भी प्रकार के यौन उत्पीड़न के मामले में शामिल नहीं होना चाहिए ।

सभी कर्मचारियों से अनुरोध किया जाता है कि वे कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न को रोकने हेतु उचित कदम उठाएँ । यदि कोई सरकारी कर्मचारी यौन उत्पीड़न के किसी मामले में संलिप्त पाया जाता है तो इसकी शिकायत निम्नलिखित सदस्यों की शिकायत समिति के समक्ष लाया जाये।

1. श्रीमती मैरी ओ अलेक्स, उप निदेशक, लेखापरीक्षा महानिदेशक (सी) का कार्यालय मुंबई - अध्यक्ष
2. श्रीमती मोनीषा टी. एम, उप महालेखाकार - सदस्य
3. श्रीमती जॉयस एस. पिंटो, वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी - सदस्य
4. श्रीमती इन्दु एस. कामथ, वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी - सदस्य
5. श्रीमती पी. पी. जे. फर्नांडीज, वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी - सदस्य
6. श्री हर्षल मान्द्रेकर, निदेशक, पंख- विंग्स ऑफ होप, (एन जी ओ) - सदस्य

In accordance with Rule 3-C of CCS (Conduct) Rules, 1964, no Government servant shall indulge in any act of sexual harassment of any woman at her work place.

All staff members are requested to take appropriate steps to prevent sexual harassment at work place. In case any Government Servant is found indulging in any act of sexual harassment, the complaint of the same may be brought to the notice of the Complaints Committee consisting of the following members.

1. Ms Mary O Alex, Deputy Director, O/o the Director General of Audit (C) Mumbai – Chairperson.
2. Ms. Monisha T.M, Deputy Accountant General – Member.
3. Ms. Joyce S. Pinto, Sr. Audit Officer – Member.
4. Ms. Indu S. Kamath, Sr. Audit Officer – Member.
5. Ms. P.P.J. Fernandes, Sr. Audit Officer – Member.
6. Mr. Harshal Mandrekar, Director of Pankh-Wings of Hope, (NGO) Member.

(प्राधिकरण: प्रधान महालेखाकार का आदेश दिनांक: -12.02.2020)

हस्ता/-
उप महालेखाकार